

कार्यालय:-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बो)-01 / ७६

/अनिरस्था०(प्राथा०) / 2015-16 दिनांक ८६, जुलाई, 2015

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-२ संख्या: 201/2013 उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण एवं स्थानान्तरण पर पदरस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निर्गत प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं काउन्सिलिंग के फलस्वरूप विकल्प के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्रारम्भिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4600 को नियम 10(1) अनिवार्य स्थानान्तरण Y क्षेत्र से X क्षेत्र में स्थान-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती रथल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत स्थानान्तरित किये गये शिक्षक का वेतन उनके स्थानान्तरित विद्यालय से आहरित किया जायेगा।

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	जहांआरा	रा०प्रा०वि० मटियावा, कालसी।	रा०प्रा०वि० माजरा-२, रायपुर।	
2	दर्शनी देवी	रा०प्रा०वि० धोइरा पुडिया, कालसी।	रा०प्रा०वि० बद्रीपुर, रायपुर।	
3	लाज श्री	रा०प्रा०वि० बसाया, कालसी।	रा०प्रा०वि० कण्डोली अपर, सहसपुर।	

(पदमेन्द्र सकलानी) ८.७.१५
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

देहरादून।

पृष्ठांकन सं०: प्र0राज(बो)-01 / १३४६-५४ / अनिरस्था०(प्राथा०) / 2015-16 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौडी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमावली के नियम 28 के अनुसार अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को आदेश निर्गत होने की तिथि के 7 दिन के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय एकल अध्यापकीय न हो, एकल अध्यापकीय विद्यालय/५० प्रतिशत से अधिक अध्यापक स्थानान्तरित होने की दशा में स्थानान्तरित अध्यापक को प्रतिस्थानी आने के पश्चात् ही कार्यभार मुक्त किया जायेगा। सम्बन्धित अध्यापक का वेतन उसके नवीन तैनाती रथल से ही आहरित किया जायेगा।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे अपने विद्यालय से स्थानान्तरित अध्यापक के आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय के लिए इस आधार पर कार्यभार मुक्त करें कि विद्यालय एक अध्यापकीय न हो।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/अध्यापक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर विद्यालय से कार्यभार मुक्त होने के पश्चात् उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपरिथित होकर उनसे रिक्ति की उपलब्धता के फलस्वरूप ही नवीन तैनाती रथल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती रथल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

(पदमेन्द्र सकलानी) ८.७.१५
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
देहरादून।

६६

कार्यालय:-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-01/

१७

/अनिरस्था०(प्राथा०) / 2015-16 दिनांक ४६ जुलाई, 2015

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201/2013 उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं काउन्सिलिंग के फलस्वरूप विकल्प के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4200 को नियम 10(1) अनिवार्य स्थानान्तरण Y क्षेत्र से X क्षेत्र में स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत स्थानान्तरित किये गये शिक्षक का वेतन उनके स्थानान्तरित विद्यालय से आहरित किया जायेगा।

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	ताज बेगम	रा०प्रा०वि० चामासारी, रायपुर	रा०प्रा०वि० कुलडी, मसूरी।	
2	प्रेमा भोटिया	रा०प्रा०वि० बुरांसखण्ड, रायपुर	रा०प्रा०वि० बुडस्टॉक, मसूरी।	
3	देशराज सिंह	रा०प्रा०वि० सिंधववाल गांव, रायपुर	रा०प्रा०वि० नवीन जौली, डोईवाला	
4	बलबीर सिंह	रा०प्रा०वि० मटकमाजरी, विकासनगर	रा०प्रा०वि० मण्डीगंगमेवा, विकासनगर।	
5	रविन्द्र सिंह	रा०प्रा०वि० ढाकोवाला, विकासनगर	रा०प्रा०वि० कुमार मौहल्ला, नगरक्षेत्र देह०।	
6	चम्पा देवी	रा०प्रा०वि० कुडियाल, रायपुर	रा०प्रा०वि० जौलीग्राण्ट, डोईवाला।	
7	श्री सुशील मेवाड़	रा०प्रा०वि० मटोगी, विकासनगर	रा०प्रा०वि० विकासनगर-2, विकासनगर।	
8	श्रीमती उषा थपलियाल	रा०प्रा०वि० मैंगवाला, विकासनगर	रा०प्रा०वि० डोभालवाला, नगरक्षेत्र देहरादून।	
9	सोनिया गोयल	रा०प्रा०वि० खरकोटा, कालसी	रा०प्रा०वि०, आराघर-1, नगरक्षेत्र।	

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्राथा०)
देहरादून।

पृष्ठांकन सं०: प्र0राज(बे0)-01/ १५५-६२ /अनिरस्था०(प्राथा०) / 2015-16 दिनांक ४६ उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी(प्राथा०)/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमावली के नियम 28 के अनुसार अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को आदेश निर्गत होने की तिथि के 7 दिन के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय एकल अध्यापकीय न हो, एकल अध्यापकीय विद्यालय/50 प्रतिशत से अधिक अध्यापक स्थानान्तरित होने की दशा में स्थानान्तरित अध्यापक को प्रतिस्थानी आने के पश्चात् ही कार्यभार मुक्त किया जायेगा। सम्बन्धित अध्यापक का वेतन उसके नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।

क्रमशः

०८

मानव संस्कृत विभागी कार्यालय अधिकारी नियन्त्रण एवं नियन्त्रण विधि

7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे अपने विद्यालय से स्थानान्तरित अध्यापक के आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय के लिए इस आधार पर कार्यभार मुक्त करें कि विद्यालय एक अध्यापकीय न हो।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/अध्यापक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर विद्यालय से कार्यभार मुक्त होने के पश्चात् उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपरिथित होकर उनसे रिक्ति की उपलब्धता के फलस्वरूप ही नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्राप्ति)
देहरादून।

6.7.1

कार्यालयः—जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-01 /

७४

/ अनिरस्था०(प्राथा०) / 2015-16 दिनांक ६६ जुलाई, 2015

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग—२ संख्या: 201/2013 उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं काउन्सिलिंग के फलस्वरूप विकल्प के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्रारम्भिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4600 को नियम 10(1) अनिवार्य स्थानान्तरण X क्षेत्र से Y क्षेत्र में स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती रथल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत स्थानान्तरित किये गये शिक्षक का वेतन उनके स्थानान्तरित विद्यालय से आहरित किया जायेगा।

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती शशि मुयाल	रा०प्रा०वि० छरबा लौअर, सहसपुर	रा०प्रा०वि० कुन्जा, विकासनगर	
2	श्रीमती दीपा बमराडा	रा०प्रा०वि० कारगी-१, रायपुर	रा०प्रा०वि० जूडली, विकासनगर	
3	श्रीमती मधु पैन्यूली	रा०प्रा०वि० गुमानीवाला, डोईवाला	रा०प्रा०वि० गौहरीमाफी, डोईवाला	

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

देहरादून।

पृष्ठांकन सं०: प्र0राज(बे0)-01 / १३६३-७० / अनिरस्था०(प्राथा०) / 2015-16 दिनांक

उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौडी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमावली के नियम 28 के अनुसार अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को आदेश निर्गत होने की तिथि के 7 दिन के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय एकल अध्यापकीय न हो, एकल अध्यापकीय विद्यालय/५० प्रतिशत से अधिक अध्यापक स्थानान्तरित होने की दशा में स्थानान्तरित अध्यापक को प्रतिस्थानी आने के पश्चात ही कार्यभार मुक्त किया जायेगा। सम्बन्धित अध्यापक का वेतन उसके नवीन तैनाती रथल से ही आहरित किया जायेगा।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे अपने विद्यालय से स्थानान्तरित अध्यापक के आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय के लिए इस आधार पर कार्यभार मुक्त करें कि विद्यालय एक अध्यापकीय न हो।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/अध्यापक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर विद्यालय से कार्यभार मुक्त होने के पश्चात उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपरिथित होकर उनसे रिक्ति की उपलब्धता के फलस्वरूप ही नवीन तैनाती रथल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती रथल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
देहरादून।

कार्यालयः—जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-01/

७०

/अनि०स्था०(प्राथ०) / 2015–16 दिनांक ०६ जुलाई, 2015

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग—2 संख्या: 201/2013 उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं काउन्सिलिंग के फलस्वरूप विकल्प के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300—34800, ग्रेड वेतन—4200 को नियम 10(1) अनिवार्य स्थानान्तरण X क्षेत्र से Y क्षेत्र में स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत स्थानान्तरित किये गये शिक्षक का वेतन उनके स्थानान्तरित विद्यालय से आहरित किया जायेगा।

क्र० सं०	सहायक अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती ममता रावत	रा०प्रा०वि० नथनपुर, रायपुर।	रा०प्रा०वि० मटकमाजरी, विकासनगर।	
2	अनिता यादव	रा०प्रा०वि० खुडबडा, नगर क्षेत्र।	रा०प्रा०वि० कुञ्जाग्राण्ट, विकासनगर।	
3	श्रीमती सुधा मधवाल	रा०प्रा०वि० मोहब्बेवाला, रायपुर।	रा०प्रा०वि० मटकमाजरी, विकासनगर।	
4	श्रीमती निधी सूद	रा०प्रा०वि० अर्दोईवाला, रायपुर।	रा०प्रा०वि० केदारावाला, विकासनगर।	
5	संगीता नैथानी	रा०प्रा०वि० ब्राह्मणवाला, रायपुर।	रा०प्रा०वि० होरावाला, विकासनगर।	
6	विद्यावती उनियाल	रा०प्रा०वि० गढनिवास, डोई०।	रा०प्रा०वि० मैंगवाला, विकासनगर।	
7	श्रीमती वन्दना शर्मा	रा०प्रा०वि० बंजारावाला, रायपुर।	रा०प्रा०वि० आदुवाला, विकासनगर।	
8	श्रीमती अनिता डिमरी	रा०प्रा०वि० शेरपुर, विकासनगर।	रा०प्रा०वि० सूर्यधार, डोईवाला।	
9	श्रीमती सुशीला बिंजोला	रा०प्रा०वि० विकासनगर, विका०।	रा०प्रा०वि० चीलियों, विकासनगर।	
10	बीना बर्तवाल	रा०प्रा०वि० खत्ता, डोई०।	रा०प्रा०वि० कुञ्जाग्राण्ट, विकासनगर।	

W.M. 6.7.15

(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

देहरादून।

उक्तांकित।


पृष्ठांकन सं०: प्र0राज(बे0)-01/ 1371—78 /अनि०स्था०(प्राथ०) / 2015–16 दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौडी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०) / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमावली के नियम 28 के अनुसार अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को आदेश निर्गत होने की तिथि के 7 दिन के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय एकल अध्यापकीय न हो, एकल अध्यापकीय विद्यालय/50 प्रतिशत से अधिक अध्यापक स्थानान्तरित होने की दशा में स्थानान्तरित अध्यापक को प्रतिस्थानी आने के पश्चात् ही कार्यभार मुक्त किया जायेगा। सम्बन्धित अध्यापक का वेतन उसके नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।

क्रमशः

7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे अपने विद्यालय से स्थानान्तरित अध्यापक के आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय के लिए इस आधार पर कार्यभार मुक्त करें कि विद्यालय एक अध्यापकीय न हो।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/अध्यापक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर विद्यालय से कार्यभार मुक्त होने के पश्चात् उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर उनसे रिक्ति की उपलब्धता के फलस्वरूप ही नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।


6.7.19
जिला शिक्षा अधिकारी(प्राऊशिया)
देहरादून।

कार्यालयः—जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-02/

४०

/अनिन्दिता(उ0प्रा0)/2015-16 दिनांक ६८ जुलाई, 2015

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग—2 संख्या: 201/2013 उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं काउन्सिलिंग के फलस्वरूप विकल्प के आधार पर निम्नलिखित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300—34800, ग्रेड वेतन—4600 को नियम 10(1) अनिवार्य स्थानान्तरण Y क्षेत्र से X क्षेत्र में स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत स्थानान्तरित किये गये शिक्षक का वेतन उनके स्थानान्तरित विद्यालय से आहरित किया जायेगा।

क्र0 सं0	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	जगत सिंह	रा०उ०प्रा०वि० बृनाड, चक्रता	रा०उ०प्रा०वि० बापूगाम, डोईवाला।	
2.	अर्जुन सिंह रावत	रा०उ०प्रा०वि० भंगार, चक्रता	रा०उ०प्रा०वि० गुमानीवाला, डोईवाला।	
3.	महिपाल सिंह	रा०उ०प्रा०वि० भगवानपुर, रायपुर	रा०उ०प्रा०वि० कांवली, रायपुर।	
4.	नरेन्द्र सिंह	रा०उ०प्रा०वि० टिमरा, कालसी	रा०उ०प्रा०वि० एनफील्ड, विकासनगर।	
5.	सुन्दर पाल	रा०उ०प्रा०वि० बिसउ, चक्रता	रा०उ०प्रा०वि० सेलाकुइ, सहसपुर।	
6.	सुभाष चन्द	रा०उ०प्रा०वि० रजाणू, चक्रता	रा०उ०प्रा०वि० तिपरपुर, विकासनगर।	
7.	यशपाल सिंह	रा०उ०प्रा०वि० दार्मिंगाड, चक्रता	रा०उ०प्रा०वि० नकरौंदा, डोईवाला।	
8.	पृथ्वीनाथ	रा०उ०प्रा०वि० जगथान, चक्रता	रा०उ०प्रा०वि० पण्डितवाडी, सहसपुर।	
9.	मोहम्मद इरफान	रा०उ०प्रा०वि० गोरछा, चक्रता	रा०उ०प्रा०वि० मियांवाला, डोईवाला।	
10.	कु0 सरस्वती रावत	रा०उ०प्रा०वि० मरलउ, कालसी	रा०उ०प्रा०वि० धूलकोट, सहसपुर।	

11/06/2015
6.7.15

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

देहरादून।
उक्तांकित।

पृष्ठांकन सं0: प्र0राज(बे0)-02/ १३७९-४८ /अनिन्दिता(उ0प्रा०)/2015-16 दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौडी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमावली के नियम 28 के अनुसार अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को आदेश निर्गत होने की तिथि के 7 दिन के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय एकल अध्यापकीय न हो, एकल अध्यापकीय विद्यालय/50 प्रतिशत से अधिक अध्यापक स्थानान्तरित होने की दशा में स्थानान्तरित अध्यापक को प्रतिरक्षानी आने के पश्चात् ही कार्यभार मुक्त किया जायेगा। सम्बन्धित अध्यापक का वेतन उसके नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।

क्रमशः

०८

- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे अपने विद्यालय से स्थानान्तरित अध्यापक आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय के लिए इस आधार पर कार्यभार मुक्त करें कि विद्यालय एक अध्यापकीय न हो।
- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/अध्यापक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर विद्यालय से कार्यभार मुक्त होने के पश्चात् उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर उनसे रिक्ति की उपलब्धता के फलस्वरूप ही नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- कार्यालय आदेश पंजिका।

M/s 6.7.15
जिला शिक्षा अधिकारी(प्राप्तिशो)
देहरादून।

कार्यालयः—जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बो)-02/

४।

/अनिरुद्धस्था०(उ०प्रा०) / 2015-16 दिनांक ८६, जुलाई, 2015

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग—२ संख्या: 201/2013 उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्रविधानों के अनुसार स्थानान्तरण समिति की संरक्षित एवं काउन्सिलिंग के फलस्वरूप विकल्प के आधार पर निम्नलिखित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन—4800 को नियम 10(1) अनिवार्य स्थानान्तरण Y क्षेत्र से X क्षेत्र में स्तरम्—4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत स्थानान्तरित किये गये शिक्षक का वेतन उनके स्थानान्तरित विद्यालय से आहरित किया जायेगा।

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री सुनदास	राजक०उ०प्रा०वि० लोहारी, कालसी	राज०प्रा०वि० जरस्सोवाला, विकासनगर	

W.M.J. ६.७.१५
(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
देहरादून।

उक्तांकित।

पृष्ठांकन सं०: प्र0राज(बो)-02/ १३८७-९४ /अनिरुद्धस्था०(उ०प्रा०) / 2015-16 दिनांक

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौडी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमावली के नियम 28 के अनुसार अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को आदेश निर्गत होने की तिथि के 7 दिन के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय एकल अध्यापकीय न हो, एकल अध्यापकीय विद्यालय/50 प्रतिशत से अधिक अध्यापक स्थानान्तरित होने की दशा में स्थानान्तरित अध्यापक को प्रतिस्थानी आने के पश्चात ही कार्यभार मुक्त किया जायेगा। सम्बन्धित अध्यापक का वेतन उसके नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे अपने विद्यालय से स्थानान्तरित अध्यापक के आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय के लिए इस आधार पर कार्यभार मुक्त करें कि विद्यालय एक अध्यापकीय न हो।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/अध्यापक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर विद्यालय से कार्यभार मुक्त होने के पश्चात उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपरिथित होकर उनसे रिक्ति की उपलब्धता के फलस्वरूप ही नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

W.M.J. ६.७.१५
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
देहरादून।

०८

कार्यालयः—जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-02 /

४२

/अनि०स्था०(उ०प्रा०) / 2015-16 दिनांक ५६, जुलाई, 2015

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग—२ संख्या: 201 / 2013 उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण एवं स्थानान्तरण पर पदशासन नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं काउन्सिलिंग के फलस्वरूप विकल्प के आधार पर निम्नलिखित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक वेतनक्रम 9300—34800, ग्रेड वेतन—4800 को नियम 10(1) अनिवार्य स्थानान्तरण X क्षेत्र से Y क्षेत्र में रंतम्—४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत स्थानान्तरित किये गये शिक्षक का वेतन उनके स्थानान्तरित विद्यालय से आहरित किया जायेगा।

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री सुरेश पाल	रा०उ०प्रा०वि० लक्ष्मीपुर, विकासनगर	रा०उ०प्रा०वि० डकियारना, कालसी	
2	श्री हुकम सिंह उनियाल	रा०उ०प्रा०वि० 55 राजपुर रोड, रायपुर	रा०उ०प्रा०वि० लांधारोखरी, कालसी	

(पदमेन्द्र सकलानी) 6.7.15

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

देहरादून।

उक्ताक्ति।

1395-402

1395-402

पृष्ठांकन सं०: प्र0राज(बे0)-02 / अनि०स्था०(उ०प्रा०) / 2015-16 दिनांक

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर, शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित, उप शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमावली के नियम 28 के अनुसार अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को आदेश निर्गत होने की तिथि के 7 दिन के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय एकल अध्यापकीय न हो, एकल अध्यापकीय विद्यालय/50 प्रतिशत से अधिक अध्यापक स्थानान्तरित होने की दशा में स्थानान्तरित अध्यापक को प्रतिस्थानी आने के पश्चात ही कार्यभार मुक्त किया जायेगा। सम्बन्धित अध्यापक का वेतन उसके नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे अपने विद्यालय से स्थानान्तरित अध्यापक के आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय के लिए इस आधार पर कार्यभार मुक्त करें कि विद्यालय एक अध्यापकीय न हो।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/अध्यापक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर विद्यालय से कार्यभार मुक्त होने के पश्चात उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपरिषत होकर उनसे रिवित की उपलब्धता के फलस्वरूप ही नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

देहरादून।

6/1/

(पदमेन्द्र सकलानी) 6.7.15

कार्यालयः—जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बो)-01 /

१३

/अनि०स्था०(प्रा०) / 2015-16 दिनांक ०६ जुलाई, 2015

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग—२ संख्या: 201/2013 उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं काउन्सिलिंग के फलस्वरूप विकल्प के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्रारम्भिक विद्यालय में कार्यरत उद्दू सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4200 को नियम 10(1) अनिवार्य स्थानान्तरण X क्षेत्र से Y क्षेत्र में पद रिक्त न होने के कारण स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत स्थानान्तरित कियें गये शिक्षक का वेतन उनके स्थानान्तरित विद्यालय से आहरित किया जायेगा।

क्र0 सं०	सहायक अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	हंबीरहमान	रा०प्रा०वि० हर्बटपुर, विकासनगर	रा०प्रा०वि० ढकरानी कालोनी, विका०।	
2	गिजाला परवीन	रा०प्रा०वि० मोहब्बेवाला, रायपुर	रा०उ०प्रा०वि० कांवली-२, रायपुर	
3	खालिद हुसैन	रा०प्रा०वि० सभावाला, विकासनगर	रा०उ०प्रा०वि० जस्सोवाला, विकासनगर।	
4	श्रीमती रफीकन	रा०प्रा०वि० बुल्लावाला-२, डोईवाला	रा०उ०प्रा०वि० तेलीवाला, डोईवाला।	

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
देहरादून।

उक्तांकित।

पृष्ठांकन सं०: प्र0राज(बो)-01 / १५०३-१० / अनि०स्था०(प्रा०शि०) / 2015-16 दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौडी।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०) / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमावली के नियम 28 के अनुसार अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक को आदेश निर्गत होने की तिथि के 7 दिन के अन्दर कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय एकल अध्यापकीय न हो, एकल अध्यापकीय विद्यालय/50 प्रतिशत से अधिक अध्यापक स्थानान्तरित होने की दशा में स्थानान्तरित अध्यापक को प्रतिस्थानी आने के पश्चात् ही कार्यभार मुक्त किया जायेगा। सम्बन्धित अध्यापक का वेतन उसके नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे अपने विद्यालय से स्थानान्तरित अध्यापक के आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय के लिए इस आधार पर कार्यभार मुक्त करें कि विद्यालय एक अध्यापकीय न हो।
- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक / अध्यापक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर विद्यालय से कार्यभार मुक्त होने के पश्चात् उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर उनसे रिक्ति की उपलब्धता के फलस्वरूप ही नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- कार्यालय आदेश पंजिका।

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
देहरादून।

०/०

कार्यालय:-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), देहरादून।

आदेश संख्या: प्र०राज(बे०)-०२ /

७५ /अनि०स्था०(उ०प्रा०) / 2015-16 दिनांक जुलाई, 2015

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-२ संख्या: 201/2013 उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं काउन्सिलिंग के फलस्वरूप विकल्प के आधार पर निम्नलिखित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत उर्दू सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4600 को नियम 10(1) अनिवार्य स्थानान्तरण X क्षेत्र से Y क्षेत्र में पद रिक्त न होने के कारण स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत स्थानान्तरित किये गये शिक्षक का वेतन उनके स्थानान्तरित विद्यालय से आहरित किया जायेगा।

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	फारुख हसन	रा०उ०प्रा०वि० कुल्हाल, विकासनगर।	रा०उ०प्रा०वि० जीवनगढ़, विकासनगर	
2	मौ० अंतीक	रा०उ०प्रा०वि० डोईवाला, डोईवाला	रा०उ०प्रा०वि० मियावाला, डोईवाला।	
3	रकम सिंह	रा०उ०प्रा०वि० जर्सोवाला, विकासनगर	रा०उ०प्रा०वि० जमनीपुर, विकासनगर।	
4	नजीर अहमद	रा०उ०प्रा०वि० मियावाला, डोईवाला	रा०उ०प्रा०वि० डोईवाला, विकासनगर।	
5	बद्रुजम्मन	रा०उ०प्रा०वि० ढकरानी, विकासनगर	रा०उ०प्रा०वि० टिमली, विकासनगर।	
6	मौ० समशाद अंसारी	रा०उ०प्रा०वि० भोगपुर, डोईवाला	रा०उ०प्रा०वि० कोटिभानियावाला, डोई।	
7	अमीर हसन	रा०उ०प्रा०वि० गढीश्यामपुर, डोईवाला	रा०उ०प्रा०वि० तेलीवाला, डोई।	
8	इमरान अहमद	रा०उ०प्रा०वि० टिमली, विकासनगर	रा०उ०प्रा०वि० ढकरानी, विकासनगर।	
9	कृष्ण लाल शर्मा	रा०उ०प्रा०वि० जमनीपुर, विकासनगर	रा०उ०प्रा०वि० जर्सोवाला, विकासनगर।	
10	अशोक कुमार	रा०उ०प्रा०वि० बद्रीपुर, विकासनगर	रा०उ०प्रा०वि० कुल्हाल, विकासनगर।	
11	मौ० युसूफ खान	रा०उ०प्रा०वि० शेरपुर, विकासनगर	रा०उ०प्रा०वि० बनियावाला, सहसपुर।	
12	रियासत अली अंसारी	रा०उ०प्रा०वि० सभावाला, विकासनगर	रा०उ०प्रा०वि० सेलाकुई, सहसपुर।	
13	काफिला बानो	रा०उ०प्रा०वि० सेलाकुई, सहसपुर	रा०उ०प्रा०वि० कावली, रायपुर।	

(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

देहरादून।

पृष्ठांकन सं०: प्र०राज(बे०)-०२ / १५१-१८

/अनि०स्था०(उ०प्रा०) / 2015-16 दिनांक

उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौडी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०) / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमावली के नियम 28 के अनुसार अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को आदेश निर्गत होने की तिथि के 7 दिन के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय एकल अध्यापकीय न हो, एकल अध्यापकीय विद्यालय/50 प्रतिशत से अधिक अध्यापक स्थानान्तरित होने की दशा में स्थानान्तरित अध्यापक को प्रतिस्थानी आने के पश्चात् ही कार्यभार मुक्त किया जायेगा। सम्बन्धित अध्यापक का वेतन उसके नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।

क्रमांक:

०१८

7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे अपने विद्यालय से स्थानान्तरित अध्यापक के आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय के लिए इस आधार पर कार्यभार मुक्त करें कि विद्यालय एक अध्यापकीय न हो।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक /अध्यापक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर विद्यालय से कार्यभार मुक्त होने के पश्चात् उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपरिथित होकर उनसे रिक्ति की उपलब्धता के फलस्वरूप ही नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।


6/7/15
जिला शिक्षा अधिकारी(प्राऊशि)
देहरादून।